पत्रावली पेलड है। वहीं वर्ष 2010 में खसरा
अस्तित्व में नहीं। वर्ष का वाद स्वीकार किया
जाता है। निर्णय पृथक से तैयार कर शामिल
पत्रावली किया गया। पत्रावली पूर्ण लम्बित
होने तक खसरे से सम्बन्ध।

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)